

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,

कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल,

उदला रोड (05 वॉ कि०मी०) जी०टी० रोड, अलीगढ़।

पत्रांक/बे०मान्यता/ 35726 /2020-21 दिनांक— 26.03.2021

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 30.09.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातुर्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं— कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, उदला रोड (05 वॉ कि०मी०) जी०टी० रोड अलीगढ़, को तारीख 01.04.2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिये औपबन्धिक रूप से कक्षा 06 से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अससठ-3-2018-2041/2018 दिनांक: 11 जनवरी 2019 में निहित प्रावधानानुसार एक वर्ष के परचात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०ई०के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के परचात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है।

1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के परचात मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5-सोसइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।

6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(1)-प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2)-किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।

(3)-प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)-प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)-अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुल्कता ग्रन्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6)-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

(7)-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(8)-अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।




FOR KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL

(Pravin Agarwal)
Managing Director

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8757 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	4577 वर्ग मीटर
कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल	उपलब्ध है।
कक्षाओं की संख्या	28 कक्षा
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सहगण्डारागार के लिये कक्षा	05 कक्षा
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है।
मिड-डे-गील पकाने के लिये रसोई 01	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की पुस्तकें	उपलब्ध है।

9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी ।

10-विद्यालय भवनों या अन्य सरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।

13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

14-आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17-सलंगन उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

डा०(लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़

FOR KRISHNA INTERNATIONAL SCHOOL

(Pravin Agarwal)
Managing Director